न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 30/2021 दायरा दिनांक : 05.03.2021

उनवान

रामस्वरूप आयु 60 साल आत्मज कंवरलाल, जाति मीना, निवासी ग्राम सेमलीकलॉ, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1– जगदीश आयु 40 साल पुत्र काना, जाति मीना, निवासी ग्राम सेमलीकलॉ, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

2– दानमल आयु 32 साल आत्मज काना, जाति मीना, निवासी ग्राम सेमलीकलॉ, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

3– रामनारायन आयु 30 साल आत्मज काना, जाति मीना, निवासी ग्राम सेमलीकलॉ, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

4– रमेश आयु 28 साल आत्मज काना, जाति मीना, निवासी ग्राम सेमलीकलॉ, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

5– द्रोपदीबाई पुत्री काना पत्नी भागचन्द, जाति मीना, निवासी ग्राम मोगरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

6– पुष्पाबाई बेवा काना, जाति मीना, निवासी ग्राम सेमलीकलॉ, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

7– भूमि अवाप्ति अधिकारी जर्ये उपखण्ड अधिकारी महोदय, अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

8– शाखा प्रबन्धक जर्ये मैनेजर एस0बी0बी0जे0 नया नाम एस0बी0आई0 अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

9– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा0 तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

.... रेस्पोडेंट

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या 31/2021 दायरा दिनांक : 05.03.2021

उनवान

रामस्वरूप आयु 60 साल आत्मज कंवरलाल, जाति मीना, निवासी ग्राम सेमलीकलॉ, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1– जगदीश आयु 40 साल पुत्र काना, जाति मीना, निवासी ग्राम सेमलीकलॉ, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

2– दानमल आयु 32 साल आत्मज काना, जाति मीना, निवासी ग्राम सेमलीकलॉ, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

3– रामनारायन आयु 30 साल आत्मज काना, जाति मीना, निवासी ग्राम सेमलीकलॉ, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

4– रमेश आयु 28 साल आत्मज काना, जाति मीना, निवासी ग्राम सेमलीकलॉ, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

5– द्रोपदीबाई पुत्री काना पत्नी भागचन्द, जाति मीना, निवासी ग्राम मोगरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

6– पुष्पाबाई बेवा काना, जाति मीना, निवासी ग्राम सेमलीकलॉ, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

7– भूमि अवाप्ति अधिकारी जर्ये उपखण्ड अधिकारी महोदय, अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

8– शाखा प्रबन्धक जर्ये मैनेजर एस0बी0बी0जे0 नया नाम एस0बी0आई0 अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

9– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा0 तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

..... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री संजय सक्सैना अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से तथा शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.09.2019 एवं फाइनल डिक्री दिनांक 27.07.2020 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा जिससे वाद संख्या – 87/दावा/2017 वास्ते अन्तर्गत 53, 212 आर.टी.ए. वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री व काउन्टर क्लेम प्रतिवादी आंशिक डिक्री किया गया एवं फाइनल डिक्री किया जाकर बंटवारे अनुसार कब्जा डिक्री संभलाया गया।

निर्णय **दिनांक : 10.03.2023**

1. ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

2. वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि–

3. यह है कि ग्राम सेमलीकलां, तहसील अकलेरा, पटवार हल्का पचौला, तहसील अकलेरा के माल में खाता संख्या नई 177 पुरानी 172 की खसरा नम्बर 188 की 5 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 250 की 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 642 की 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 643 की 1 बीघा 14 बिस्वा कुल 4 किता की 11 बीघा आराजी वादीगण 1 लगायत 6 एवं प्रतिवादी नम्बर 1 रामस्वरूप के शामलाती खाते की स्थित है जिसमें वादी 1 लगायत 6 का 8/9 हिस्सा एवं प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/9 हिस्सा शामलाती खाते से दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम सेमलीकलां पटवार हल्का पचौला, तहसील अकलेरा सम्वत 2072–2075 की पेश है।

4. यह है कि वाद की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी में खातेदार रतना वल्द भैरू का स्वर्गवास हो चुका है जिसका नामान्तरकरण संख्या 676 दिनांक 23.05.2016 से मृतक रतना का 4/9 हिस्सा वादी 1 लगायत 6 के खाते दर्ज हो चुका है। इस प्रकार वादीगण 1 लगायत 6 का स्वयं का 4/9 हिस्सा एवं रतना वल्द भैरू मीना का 4/9 हिस्सा कुल 8/9 हिस्सा वादीगण 1 लगायत 6 के खाते दर्ज हो चुका है जिस पर वह काबिज चले आ रहे हैं।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

5. यह है कि वाद की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी वादीगण 1 लगायत 6 एवं प्रतिवादी नम्बर 1 के बीच शामलाती खाते में रहने से आये दिन लडाई झगड़ा होता रहता है एवं कर्ता राज अदा करने में भी काफी परेशानी होती है और वादीगण अपने हिस्से की आराजी का विकास कार्य नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपने हिस्से की आराजी का विभाजन करवाकर अपने पृथक खाते दर्ज करवाना चाहते हैं एवं मौके व कब्जे की स्थिति के अनुसार ही विभाजन करवाकर नाप कर कब्जा संभालना चाहते हैं।

6. यह है कि खतौनी संख्या नई 177 की खसरा नम्बर 188 की 5 बीघा 8 बिस्वा आराजी में ग्रेवल पक्का रोड़ समाज कल्याण छात्रावास एन. एच. 52 पचौला से कोटड़ा जागीर में लगने वाले कारखाने के लिए निकला है जिसमें खसरा नम्बर 188 की भूमि अवाप्त की गई है। उक्त सम्पूर्ण आराजी खसरा नम्बर 188 की 5 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 642 की 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 643 की 1 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 250 की 3 बीघा 9 बिस्वा आराजी में से 2 बीघा 5 बिस्वा आराजी वादीगण 1 लगायत 6 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। इस प्रकार प्रतिवादी नम्बर 1 का मात्र खसरा नम्बर 250 की 1 बीघा 4 बिस्वा आराजी पर ही उसका 1/9 भाग पर कब्जा चला आ रहा है।

7. यह है कि प्रतिवादी नम्बर 1 ने खतौनी संख्या नई 177 की आराजी का 1/9 हिस्सा दिनांक 16.07.1983 को सहखातेदार धन्ना पुत्र भैरू मीना, निवासी सेमलीकलां से खरीदी थी। सहखातेदार धन्ना भी खसरा नम्बर 250 की 1 बीघा 4 बिस्वा आराजी पर काबिज था एवं इसी 1 बीघा 4 बिस्वा आराजी पर प्रतिवादी नम्बर 1 रामस्वरूप को कब्जा संभलाया था। इसी हिस्से पर प्रतिवादी नम्बर 1 अर्सा 34–35 वर्षों से काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादी नम्बर 1 का अन्य किसी भी खसरा नम्बर की आराजी के किसी भी भाग पर कब्जा नहीं है। इस कारण खसरा नम्बर 188 की 5 बीघा 8 बिस्वा आराजी में जो ग्रेवल सड़क पक्का रोड़ निकल रहा है उसमें प्राप्त होने वाले मुआवजे का प्रतिवादी नम्बर 1 रामस्वरूप को कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

8. यह है कि वादीगण 1 लगायत 6 ने प्रतिवादी रामस्वरूप से वाद की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी का विभाजन करवाकर अपने पृथक

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

खाते दर्ज करवाने बाबत कई बार कहा लेकिन प्रतिवादी रामस्वरूप टालमटोल करता रहा तथा अंतिम बार दिनांक 25.09.2017 को वाद की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी का विभाजन करवाने बाबत कहा तो प्रतिवादी नम्बर 1 रामस्वरूप इंकार हो गया और लडाई–झगड़ा करने पर आमादा होने के कारण बिनाय मुखासमत् हाजा उत्पन्न हुआ।

9. यह है कि शाखा प्रबन्ध महोदय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर के यहां आराजी रहन होने के कारण वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

10. यह है कि राजस्थान सरकार एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी भूमि धारक होने के कारण वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

11. अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम सेमलीकला पटवारी मण्डल पचौला तहसील अकलेरा, के माल की खतौनी संख्या नई 177 पुरानी 172 की खसरा नम्बर 188 की 5 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 250 की 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 642 की 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 643 की 1 बीघा 14 बिस्वा कुल 4 किता की 11 बीघा आराजी में से वादीगण का 8/9 भाग जिस पर वह काबिज है उसका विभाजन किया जावे एवं मौके पर नापकर विभाजन किया जावे।

12. यह है कि प्रतिवादी नम्बर 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि खतौनी संख्या नई 177 की खसरा नम्बर 188 की 5 बीघा 8 बिस्वा आराजी जो ग्रेवल पक्का रोड़ पचोला से कोटड़ा जागीर तक बन रहा है उसमें जो भूमि अवाप्त की गई है उसका मुआवजा प्रतिवादी नम्बर 1 रामस्वरूप प्राप्त नहीं करें एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी भी प्रतिवादी नम्बर 1 को मुआवजा अदा नहीं करें।

13. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि–

14. वादी ने जर्ये अधिवक्ता वाद धारा 53 रा0 टी0 एक्ट के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि ग्राम सेमलीकलां, तहसील अकलेरा, तहसील अकलेरा के माल में खाता संख्या नई 177 पुरानी 172 की खसरा नम्बर 188 की 5 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 250 की 3 बीघा 9

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बिस्वा, खसरा नम्बर 642 की 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 643 की 1 बीघा 14 बिस्वा कुल 4 किता की 11 बीघा आराजी वादीगण 1 लगायत 6 एवं प्रतिवादी नम्बर 1 के शामलाती खाते की स्थित है जिसमें वादी 1 लगायत 6 का 8/9 हिस्सा एवं प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/9 हिस्सा शामलाती खाते से दर्ज है।

15. वर्णित आराजी में खातेदार रतना वल्द भैरू का स्वर्गवास हो चुका है जिसका नामान्तरकरण संख्या 676 दिनांक 23.05.2016 से मृतक रतना का 4/9 हिस्सा वादी 1 लगायत 6 के खाते दर्ज हो चुका है। इस प्रकार वादीगण 1 लगायत 6 का स्वयं का 4/9 हिस्सा एवं रतना वल्द भैरू मीना का 4/9 हिस्सा कुल 8/9 हिस्सा वादीगण 1 लगायत 6 के खाते दर्ज हो चुका है जिस पर वह काबिज चले आ रहे हैं।

16. वाद में वर्णित आराजी वादीगण 1 लगायत 6 एवं प्रतिवादी नम्बर 1 के बीच शामलाती खाते में रहने से आये दिन लडाई झगड़ा होता रहता है एवं कर्ता राज अदा करने में भी काफी परेशानी होती है और वादीगण अपने हिस्से की आराजी का विकास कार्य नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपने हिस्से की आराजी का विभाजन करवाकर अपने पृथक खाते दर्ज करवाना चाहते हैं एवं मौके व कब्जे की स्थिति के अनुसार ही विभाजन करवाकर नाप कर कब्जा संभालना चाहते हैं।

17. यह कि खतौनी संख्या नई 177 की खसरा नम्बर 188 की 5 बीघा 8 बिस्वा आराजी में ग्रेवल पक्का रोड़ समाज कल्याण छात्रावास एन.एच. 52 पचौला से कोटड़ा जागीर में लगने वाले कारखाने के लिए निकला है जिसमें खसरा नम्बर 188 की भूमि अवाप्त की गई है। उक्त सम्पूर्ण आराजी खसरा नम्बर 188 की 5 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 642 की 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 643 की 1 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 250 की 3 बीघा 9 बिस्वा आराजी में से 2 बीघा 5 बिस्वा आराजी वादीगण 1 लगायत 6 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। इस प्रकार प्रतिवादी नम्बर 1 का मात्र खसरा नम्बर 250 की 1 बीघा 4 बिस्वा आराजी पर ही उसका 1/9 भाग पर कब्जा चला आ रहा है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

18. यह कि प्रतिवादी नम्बर 1 ने खतौनी संख्या नई 177 की आराजी का 1/9 हिस्सा दिनांक 16.07.1983 को सहखातेदार धन्ना पुत्र भैरू मीना, निवासी सेमलीकलां से खरीदी थी। सहखातेदार धन्ना भी खसरा नम्बर 250 की 1 बीघा 4 बिस्वा आराजी पर काबिज था एवं इसी 1 बीघा 4 बिस्वा आराजी पर प्रतिवादी नम्बर 1 रामस्वरूप को कब्जा संभलाया था। इसी हिस्से पर प्रतिवादी नम्बर 1 अर्सा 34-35 वर्षों से काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादी नम्बर 1 का अन्य किसी भी खसरा नम्बर की आराजी के किसी भी भाग पर कब्जा नहीं है। इस कारण खसरा नम्बर 188 की 5 बीघा 8 बिस्वा आराजी में जो ग्रेवल सड़क पक्का रोड़ निकल रहा है उसमें प्राप्त होने वाले मुआवजे का प्रतिवादी नम्बर 1 रामस्वरूप को कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

19. यह कि वादीगण 1 लगायत 6 ने प्रतिवादी रामस्वरूप से वाद की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी का विभाजन करवाकर अपने पृथक खाते दर्ज करवाने बाबत कई बार कहा लेकिन प्रतिवादी रामस्वरूप टालमटोल करता रहा तथा अंतिम बार दिनांक 25.09.2017 को वाद की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी का विभाजन करवाने बाबत कहा तो प्रतिवादी नम्बर 1 रामस्वरूप इंकार हो गया और लडाई-झगड़ा करने पर आमादा होने के कारण बिनाय मुखासमत् हाजा उत्पन्न हुआ।

20. अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर वर्णित आराजी ग्राम सेमलीकलां, तहसील अकलेरा के माल में खाता संख्या नई 177 पुरानी 172 की खसरा नम्बर 188 की 5 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 250 की 3 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 642 की 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 643 की 1 बीघा 14 बिस्वा कुल 4 किता की 11 बीघा आराजी में से वादीगण का 8/9 भाग जिस पर वह काबिज है उसका विभाजन किया जावे एवं मौके पर नापकर विभाजन किया जावे। प्रतिवादी नम्बर 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि खतौनी संख्या नई 177 की खसरा नम्बर 188 की 5 बीघा 08 बिस्वा आराजी जो ग्रेवल पक्का रोड़ पचोला से कोटड़ा जागीर तक बन रहा है उसमें जो भूमि अवाप्त की गई है उसका मुआवजा प्रतिवादी नम्बर 1 प्राप्त नहीं करें। इस बाबत वाद डिक्री किया जावे।

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

21. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी नम्बर 2 ता 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से जर्ये अधिवक्ता श्री भूरालाल मीना द्वारा जवाब दावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सेमलीकलां, तहसील अकलेरा के माल में खाता संख्या नई 177 पुरानी 172 की खसरा नम्बर 188 की 5 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 250 की 3 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 642 की 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 643 की 1 बीघा 14 बिस्वा कुल 4 किता की 11 बीघा आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 के शामलाती खाते में स्थित है। जिसमें वादीगण 1 लगायत 6 का 8/9 हिस्सा एवं प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/9 हिस्सा शामलाती खातेदारी में चला आ रहा है।

22. प्रतिवादी के उसका सम्पूर्ण हिस्सा प्रत्येक खसरा नम्बरान से पृथक पृथक विभाजन कर खाते दर्ज की जावे एवं मौके पर नाप का कब्जा दिलाया जावे। वादीगण एवं प्रतिवादी दोनों कब्जे, काश्त एवं हिस्से की आराजी में से ग्रेवल पक्का रोड़ एन.एच. 52 से कोटडा जागीर के लिए निकला है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी की भूमि अवाप्त की गई है। इसलिए शामलाती खाते की भूमि अवाप्त होने से मुआवजा राशि भी वादी एवं प्रतिवादी अपने अपने हिस्से अनुसार प्राप्त करने के अधिकारी है, शेष बची आराजी का पृथक पृथक विभाजन कर खाते दर्ज की जावे।

23. अतः जवाब दावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम सेमलीकलां, तहसील अकलेरा के माल में खाता संख्या नई 177 पुरानी 172 की खसरा नम्बर 188 की 5 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 250 की 3 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 642 की 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 643 की 1 बीघा 14 बिस्वा कुल 4 किता की 11 बीघा आराजी में से प्रतिवादी नम्बर 1 का हिस्सा 1/9 पृथक खाते विभाजन की डिकी जारी की जावे व नापकर कब्जा संभलाया जावे।

24. दावा व जवाब दावा मय काउंटर क्लेम के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो वाद में सलंग्न है। वादी व प्रतिवादीगण की साक्ष्य ली गई जिसके आधार पर तनकीवार विवेचन निम्नानुसार किया जाता है:–

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

25. तनकी नम्बर 1– आया ग्राम सेमलीकलां की खतौनी संख्या नई 177 की 11.00 बीघा आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 1 के शामलाती खाते की दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी का 1/9 हिस्सा है। उक्त आराजी में से प्रतिवादी रामस्वरूप का कब्जा खसरा नम्बर 250 की 1.04 बीघा आराजी पर है, कब्जे के अनुसार ही प्रतिवादी रामस्वरूप आराजी का विभाजन कराने का हकदार है। .....वादीगण

26. पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 जिसे एक्जीविट पी 1 से प्रदर्शित किया हुआ है का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी ग्राम सेमलीकलां की खतौनी संख्या नई 177 की 11.00 बीघा आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 1 के शामलाती खाते की दर्ज है जिसमें वादीगण का 8/9 व प्रतिवादी का 1/9 हिस्सा है, जो मुताबिक रिकार्ड सिद्ध है तथा प्रतिवादी के बयानों से उसका खसरा नम्बर 250 की 1.04 बीघा आराजी पर कब्जा होना स्वीकार होने से यह तनकी इसी प्रकार बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

27. तनकी नम्बर 2– आया खसरा नम्बर 188 की 5.08 बीघा आराजी में ग्रेवल पक्का रोड़ निकला है जिसका मुआवजा वादीगण ही प्राप्त करने के अधिकारी है। ... वादीगण

28. इस तनकी में वादीगण का कथन है कि अवाप्तशुदा आराजी पर उनका कब्जा होने से उसका मुआवजा उनको प्राप्त करने का अधिकार है इसके विपरीत प्रतिवादी द्वारा अपने बयानों में खसरा नम्बर 177 की 1.04 बीघा भूमि पर कब्जा होना बताया है जो अवाप्त नहीं की गई है। अतः अवाप्तशुदा आराजी पर वादीगण का कब्जा होने से मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः यह तनकी इसी प्रकार बहक वादीगण फैसल की जाती है।

29. तनकी नम्बर 3– आया प्रतिवादी रामस्वरूप शामलाती खाता होने के कारण मुआवजा राशि का 1/9 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है।

.... प्रतिवादी

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

30. इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी का था, किन्तु प्रतिवादी द्वारा अपने बयानों में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा 30–35 वर्ष पूर्व धन्ना पुत्र भैरू से वर्णित आराजी में से खसरा नम्बर 250 की 1.04 बीघा आराजी खरीदी थी उसी आराजी पर वह काबिज चला आ रहा है। अतः अवाप्त शुदा आराजी पर उसका कोई कब्जा नहीं होने के कारण उक्त आराजी का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी इसी प्रकार विरूद्ध प्रतिवादीगण फैसल की जाती है।

31. उक्त तनकीयात के विवेचन के आधार पर वाद वादीगण डिक्री व काउंटर क्लेम प्रतिवादी आंशिक डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सेमलीकलां, तहसील अकलेरा के माल में खाता संख्या नई 177 पुरानी 172 की खसरा नम्बर 188 की 5 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 250 की 3 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 642 की 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 643 की 1 बीघा 14 बिस्वा कुल 4 किता की 11 बीघा आराजी में से वादीगण का 8/9 भाग व प्रतिवादी का 1/9 भाग पृथक खाते दर्ज करने हेतु तहसीलदार अकलेरा राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार आराजी का विभाजन किया जावे। विभाजन में मौके पर कब्जे को ध्यान में रखकर विभाजन पत्र तैयार कर पेश करें। वादीगण फाईनल डिक्री हेतु नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश करें। वाद का खर्चा वादीगण वहन करेंगे। प्राथमिक डिक्री जारी की जावे।

32. पत्रावली फाईनल डिक्री हेतु दिनांक 27.07.2020 पत्रावली पेश हुई। वकील फरीकेन उपस्थित। वकील प्रतिवादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत किसी प्रकार का प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया। वकील वादीगण द्वारा तहसील से प्राप्त विभाजन पत्र पर सहमति प्रदान की गई। अतः सरिस्ता को आदेश दिया जाता है कि मुताबिक विभाजन पत्र फाइनल डिक्री जारी करें। वकील वादीगण द्वारा एन.जे.एस. पेश किया जो शामिल फाइल किया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

33. फाईनल डिक्री में ग्राम सेमलीकलां, तहसील अकलेरा के माल में खाता संख्या नई 177 पुरानी 172 की खसरा नम्बर 188 की 5 बीघा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

08 बिस्वा, खसरा नम्बर 250 की 3 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 642 की 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 643 की 1 बीघा 14 बिस्वा कुल 4 किता की 11 बीघा आराजी में से वादीगण का 8/9 भाग व प्रतिवादी का 1/9 भाग का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है तथा आराजी का बंटवारा कर वादीगण का हिस्सा 8/9 व प्रतिवादी का 1/9 भाग निम्न प्रकार से पृथक खाते दर्ज कर नाप कर कब्जा आराजी संभलाया जावें यदि बैंक रहन का नोट हो तो यथावत दर्ज रहेगा।

हिस्सा वादीगण			
खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
188	4.18	माल सोयम	6.12
250	2.06	बीड प्रथम	1.38
642	0.09	बारानी दोयम	0.36
643	1.14	चाही अलीफ	10.20
किता–4	9.07 बीघा		18.06

हिस्सा प्रतिवादी			
खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
मिन 250	1.03	बीड प्रथम	0.69

34. इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील संख्या 31/2021 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि–

35. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.09.2019 को निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री पारित की है– जिसके बारे में अपीलांट को कभी भी पता नहीं लगा। अपीलांट को माननीय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 25.01.2021 को हुआ जबकि रेस्पोडेंट ने अपीलांट से कहा कि विवादित आराजी पर अपीलांट के स्वामित्व व कब्जे की आराजी पर जबरन कब्जा कर लेगे। इसके तुरन्त बाद अपीलांट ने मालूमात करके दिनांक 25.01.2021 को नकल का प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर नकल दिनांक 27.01.2021 को मिली। मियाद मुआफी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत है। इस प्रकार दिनांक ज्ञान से यह अपील अन्दर मियाद काबिल समाअत अदालत हाजा उचित कोर्ट फीस प्रस्तुत है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

36. विवादग्रस्त आराजी में अपीलांट का 1/9 हिस्सा शामलाती में दर्ज है। यह तथ्य जमाबंदी से भी प्रमाणित है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी प्रकार की जांच नहीं की। इस तथ्य की अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया । अपीलांट का विवादग्रस्त आराजी में 1/9 हिस्सा है यानि कि अपीलांट विवादग्रस्त आराजी में 1/9 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त होने योग्य है।

37. अपीलांट सहखातेदार है। अपीलांट विवादग्रस्त आराजी अपने 1/9 हिस्से पर लगातार आज तक बहैसियत खातेदार विधिक कब्जा निर्बाध रूप से चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादग्रस्त आराजी के बंटवारे की निर्णय एवं डिक्री में अपीलांट को खाते में दर्ज 1/9 हिस्से के अनुसार प्रत्येक खसरा नम्बर में से बराबर हिस्सा देने बाबत निर्णय व डिक्री पारित करनी चाहिए थी। इस तथ्य की अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री निरस्त होने योग्य है।

38. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का कोई उचित एवं पूर्ण अवसर दिये बिना निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो कि अवैधानिक है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त होने योग्य है।

39. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य को नहीं देखा तथा अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का कोई विवेचन नहीं किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त होने योग्य है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

40.अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात का निर्णय करने में दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का किसी भी प्रकार से विवेचन नहीं किया । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात का निर्णय करने में कानूनी व तथ्यपूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त होने योग्य है।

41.अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का तथा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित एवं पूर्ण अवसर नहीं दिया। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है।

42.अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री कानून, तथ्य एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

43. अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा का निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.09.2019 को निरस्त फरमाया जावे तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जावे तथा प्रकरण की अपीलांट की उपस्थिति में सुनवाई की जावे तथा अपीलांट का विवादग्रस्त आराजी सम्पूर्ण आराजी में से 1/9 हिस्सा दिलाया जावे तथा अपीलांट को जवाब व मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने व सुनवाई का पूर्ण एवं उचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय एवं डिक्री पारित की जावे तथा अन्य जो भी सहायता इस अपील में अपीलांट्स को प्रदान किया जाना संभव हो वह प्रदान फरमायी जावे।

44. इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील संख्या 30/2021 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि–

45.अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27.07.2020 को निर्णय एवं फाईनल डिक्री पारित की है– जिसके बारे में अपीलांट को कभी भी पता नहीं लगा। अपीलांट को माननीय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं फाईनल डिक्री का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 25.01.2021 को हुआ जबकि रेस्पोडेंट ने अपीलांट से कहा कि विवादित आराजी पर अपीलांट के

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

स्वामित्व व कब्जे की आराजी पर जबरन कब्जा कर लेगे। इसके तुरन्त बाद अपीलांट ने मालूमात करके दिनांक 25.01.2021 को नकल का प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर नकल दिनांक 27.01.2021 को मिली। मियाद मुआफी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत है। इस प्रकार दिनांक ज्ञान से यह अपील अन्दर मियाद काबिल समाअत अदालत हाजा उचित कोर्ट फीस प्रस्तुत है।

46. अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.07.2020 को पत्रावली अदालत में पेश हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किये। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट से प्रस्ताव बंटवारा पर कोई ऐतराज नहीं मांगे। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27.07.2020 को ही बिना किसी आधार के फाईनल डिक्री पारित की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने फाईनल डिक्री पारित करने में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश एवं फाईनल डिक्री पारित की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश एवं फाईनल डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं फाईनल डिक्री निरस्त होने योग्य है।

47. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फाईनल डिक्री का आदेश पारित करते समय बंटवारे के नियमों का कोई ध्यान नहीं रखा गया। मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा नहीं किया गया तथा प्रत्येक पक्षकार को आवंटित किये गये भाग का एवं उसी अनुपात में नहीं है जितना कि उसका हिस्सा कृषि जोत में है। अपीलांट के आराजीयात में अलग अलग कब्जे को भी ध्यान में नहीं रखा गया। तहसीलदार ने स्वयं ने बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार नहीं किया है। अपीलांट को वक्त पार्टीशन मौके पर नहीं बुलाया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश एवं फाईनल डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं फाईनल डिक्री निरस्त होने योग्य है।

48. पार्टीशन रिपोर्ट के अनुसार पटवारी के द्वारा केवल एक खसरा नम्बर 250 में से ही हिस्सा दिया है। वह बंटवारे के नियमों के सर्वथा विपरीत है। पार्टीशन रिपोर्ट बंटवारे के नियमों के सर्वथा विपरीत है। पटवारी ने मिट्स एवं बाउंन्ड्स के आधार पर बंटवारा नहीं किया है।

अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जिसके आधार पर फाईनल डिक्री का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी बिन्दुओं की ओर ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश एवं फाईनल डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं फाईनल डिक्री निरस्त होने योग्य है।

49. विवादित आराजी में अपीलांट का 1/9 हिस्सा शामलाती में दर्ज है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा केवल खसरा नम्बर 250 में से ही हिस्सा देकर कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्येक खसरा नम्बर में से उसके हिस्से के अनुसार हिस्सा देना चाहिए था। यानि कि अपीलांट विवादग्रस्त आराजी में 1/9 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी प्रकार की जांच नहीं की। इस तथ्य की अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया, जिससे अपीलांट के हक, हिस्सा प्रभावित होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश एवं फाईनल डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं फाईनल डिक्री निरस्त होने योग्य है।

50. अपीलांट विवादग्रस्त आराजी में शामलाती खातेदार कृषक है। अपीलांट का विवादग्रस्त आराजी पर लगातार आज तक बहैसियत खातेदार विधिक कब्जा निर्बाध रूप से चला आ रहा है तथा विवादग्रस्त आराजी का कभी भी बंटवारा नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय में विवादग्रस्त आराजी के बंटवारे की निर्णय एवं फाईनल डिक्री में अपीलांट को सम्पूर्ण हिस्सा नहीं दिया गया। इस तथ्य की अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश एवं फाईनल डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं फाईनल डिक्री निरस्त होने योग्य है।

51. अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य का ध्यान नहीं दिया कि अन्तिम डिक्री जारी करने से पूर्व सभी पक्षकारों को समुचित सुनवाई का उचित एवं पूर्ण अवसर दिया जाना आवश्यक है तथा रेवेन्यु कोर्ट मेन्युअल के नियम 18 से 21 की पालना किया जाना मेन्डेटरी है। किन्तु अधीनस्थ

श्रीमती अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय के द्वारा अपीलांट को कोई नोटिस ही नहीं दिया । इसलिए अन्तिम डिक्री जारी करने बाबत की गई तमाम कार्यवाही कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

52. अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि प्रस्ताव बंटवारा बनाने से पूर्व दोनों पक्षों की उपस्थिति हेतु तहसीलदार द्वारा नोटिस दिया जाना चाहिए था तथा पक्षकारों की उपस्थिति में अलग अलग रंग से नक्शों से हिस्सा दर्शाया जाना चाहिए था। किन्तु तहसीलदार के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। इस कानूनी बिन्दु की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर अन्तिम डिक्री जारी कर दी। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अन्तिम डिक्री निरस्त होने योग्य है।

53. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का उचित एवं पूर्ण अवसर दिये बिना फाईनल डिक्री बनाने का आदेश पारित कर दिया, जो कि अवैधानिक है। अपीलांट से उज्रात नहीं देखे गये। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश एवं फाईनल डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं फाईनल डिक्री निरस्त होने योग्य है।

54. अधीनस्थ न्यायालय ने जो प्रारम्भिक डिक्री पारित की उसके अनुसार फाईनल डिक्री नहीं बनायी गयी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने फाईनल डिक्री पारित करने में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश एवं फाईनल डिक्री पारित की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं फाईनल डिक्री निरस्त होने योग्य है।

55. अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं फाईनल डिक्री कानूनी तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

56. अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं फाईनल डिक्री पत्रावली में मौजूद दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

57. अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा का निर्णय एवं फाईनल डिक्री

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दिनांक 27.07.2020 को निरस्त फरमाया जावे तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जावे तथा प्रकरण की अपीलांट की उपस्थिति में सुनवाई की जावे तथा अपीलांट का विवादग्रस्त आराजी में 1/9 हिस्सा दिलाया जावे तथा अपीलांट की उपस्थिति में प्रस्ताव बंटवारा बनाये जाने का निर्णय पारित फरमाया जावे तथा अपीलांट को प्रत्येक खसरा नम्बर में से हिस्सा प्रदान किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे। अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण एवं उचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय एवं फाईनल डिक्री पारित की जावे तथा अन्य जो भी सहायता इस अपील में अपीलांट को प्रदान किया जाना संभव हो वह प्रदान फरमायी जावे।

58. दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 25.01.2021 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

59. दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

60. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में निम्न नजीर पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

1—धारा 58 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पेज 758

2—आर.आर.डी. 2020 पेज 312 से 319

61. हमने उभयपक्षों के विद्वान योग्य अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं कानूनी विनिर्णयों का ध्यानपूर्वक एवं सम्मानपूर्वक अध्ययन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया ।

62. अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

63. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने तहसीलदार, अकलेरा को एक ओर तो राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार आराजी का विभाजन करने हेतु आदेश दिया वही दूसरी ओर मौके पर कब्जे को ध्यान में रखकर विभाजन पत्र तैयार किये जाने का आदेश दिया। इन दोनों आदेशों में विरोधाभास उत्पन्न होता है।

64. तहसीलदार, अकलेरा के पत्र क्रमांक 160/राजस्व/डिकी 2021 दिनांक 02.03.2021 के द्वारा जो मौका रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा को भेजी गई उसमें ग्राम सेमलीकला में प्राथमिक डिकी की पालना की जाकर फाईनल डिकी के आदेशानुसार ग्राम सेमलीकला में नामा0 संख्या 820 से पृथक–पृथक खाते दर्ज कर दिया गया है। पूर्व खाता संख्या 177 की किता 4 की 11 बीघा में से वादी का हिस्सा 8/9 प्रतिवादी का हिस्सा 1/9 दर्ज था, परन्तु खसरा नम्बर 188/0.10 बीघा भूमि नामा0 सं0 814 दिनांक 18.03.2020 से रोड़ में अवाप्त हो चुकी है। अवाप्ति के पश्चात् प्राथमिक डिकी जारी हुई है। प्राथमिक डिकी के समय खाता संख्या 177 में किता 4 की 10.10 बीघा आराजी शेष थी, जिसमें प्रतिवादी का हिस्सा 1/9 था। जिसमें प्रतिवादी के हिस्से की भूमि 1.03 बीघा भूमि बनती है। उक्त हिसाब से उसको भूमि दे दी गई थी। वर्तमान में प्रार्थी व अप्रार्थी के खाते अलग–अलग है तथा वादी व प्रतिवादी सहखातेदार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में दोबारा विभाजन पत्र तैयार किया जाये अथवा नहीं। मार्गदर्शन प्रदान करें।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

65. तहसीलदार, अकलेरा के पत्र कमांक 160/राजस्व/डिकी 2021 दिनांक 02.03.2021 के द्वारा जो मौका रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा को भेजी गई एवं तहसीलदार, अकलेरा ने प्राथमिक डिकी की पालना में जो मौका रिपोर्ट कमांक 228/राजस्व दिनांक 27.04.2020 तथा 05.05.2020 उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा को भेजी गई दोनों मौका रिपोर्ट में विरोधाभास है। ऐसी स्थिति में हम प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

66. उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 30/2021 एवं 31/2021 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 11.09.2019 एवं फाईनल डिकी दिनांक 27.07.2020 खारिज की जाती हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय अपनी पत्रावली का अवलोकन करते हुए तथा तहसीलदार, अकलेरा की समस्त मौका रिपोर्ट एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करते हुए प्रकरण में पुनः नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर एवं साक्ष्य सुनवायी का अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.05.2023 को उपस्थित होवे ।

67. निर्णय आज दिनांक 10.03.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/3/2023
(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा